फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

आम्बु वनाम श्रीमती गौरी (वगैरा)

मुकदमा प्रा/प० 111-128 नं० 34 सन 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
वाद / ~~प्रार्थनापत्र~~ बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29/3/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
3 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा-प० किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

राजस्थान --सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी--डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 34/22 प्रा०पत्र

1– श्री अक्बु s/o श्री [illegible] जाट निवासी– लांगरो का खेड़ा उर्फ अक्षयपुरा तहसील – माण्डल (कोरा)

–प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती गौरी w/o श्री कल्याण जाट निवासी– लांगरो का खेड़ा उर्फ अक्षयपुरा त० माण्डल (कोरा) ([illegible])

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29.03.22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लांगरो का खेड़ा उर्फ अक्षयपुरा पटवार हल्का धुवाला तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न. 1475, 1476, 1482, 1485 कुल किता 04 रकबा 1.7832 हैक्टेयर ~~बिस्वा~~ स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 11.02.22 को पंजीयद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लांगरो का खेड़ा उर्फ अक्षयपुरा पटवार हल्का धुवाला तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न. 1475, 1476, 1482, 1485 कुल किता 04 रकबा 1.7832 हैक्टेयर बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 600/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा